जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजना का विवरण

1 योजना का नाम – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

2 सम्बन्धित विभाग का नाम – जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुजफ्फरनगर

3 कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम – उपायुक्त, श्रम रोजगार(मनरेगा)

4 कार्यालय का पता – मनरेगा–सेल, प्रथम तल, विकास भवन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

5 कार्यालय का दूरभाष – 0131–2622464

6 योजना के आरम्भ होने की तिथि – 02 फरवरी 2006

7 योजना की समाप्ति की तिथि –

8 योजना का प्रकार – केन्द्रीय व राज्य

9 योजना का संक्षिप्त विवरण

योजना के मुख्य बिन्दुः–

- प्रथम चरण 02 फरवरी 2006 से, दूसरा चरण 15 मई 2007 से एवं तीसरा चरण 01 अप्रैल 2008 (जनपद में योजना तीसरे चरण में लागू हुई)
- मांग आधारित योजना होने के कारण परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत स्तर पर होगा।
- ग्राम पंचायत एक ग्रुप फोटो युक्त रोजगार कार्ड सम्बन्धित परिवार को जारी करेगी जिसके आधार पर एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलबध कराया जायेगा।
- माँग के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों को कम से कम 14 दिन का रोजगार एक बार में उपलब्ध कराया जायेगा।
- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करेंगे और इसका अभिलेख रखेंगे।
- रोजगार श्रमिक के निवास के 05 कि0मी0 के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान होगा।
- 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिया गया तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4 और शेष दिनों के लिए 1/2 होगा।
- बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

10 योजना के लिये निर्धारित अर्हता – योजना में कार्य करने वाले मजदूर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है

11 योजना किस वर्ग विशेष के लिये है – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0

12 योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया – सर्व प्रथम कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से जॉबकार्ड बनवाने का आवेदन किया जाता है। कार्य करने के इच्छुक मजदूरों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से कार्य की मांग की जाती है। मांग के 15 दिन के भीतर कार्य के इच्छुक मजदूरों को कार्य उपलब्ध करा दिया जाता है।

13 आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान – ग्राम पंचायत।

14 आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क – निःशुल्क।

15 आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नकों का विवरण – किसी संलग्नक की आवश्यकता नहीं है।

16 यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबासाईट का एड्रेस – http://www.mgnregaupsamvedan.in

17 योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम – लेखा सहायक मोबाईल नं0 9760443535

18 योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल–0522–4055999/18001805999

19 विभाग की वेबसाईट का एड्रेस – http://www.nrega.nic.in